

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क० 9/नर्सिंग/सेल-1/2014

भोपाल दिनांक / /2014

-: आदेश :-

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के स्टॉफ नर्स से नर्सिंग सिस्टर के पदोन्नति आदेश क० 9/नर्सिंग/सेल-1/2014/191 दिनांक 03.03.2014 के द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग में क० 24 वरीयता क० 1380 श्रीमति चित्ररेखा उके जिला चिकित्सालय छतरपुर को अनुसूचित जाति के अंतर्गत पदान्ति प्रदान की गई थी। इनके सेवा अभिलेखो के परीक्षण उपरांत श्रीमति उके अनुसूचित जनजाति की उम्मीदवार होने के कारण इनका इन्हे पदोन्नति की पात्रता नहीं आती है। इनका पदोन्नति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

संयुक्त संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 9/नर्सिंग/सेल-1/2014/363

भोपाल, दिनांक 3/5/2014

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला छतरपुर मध्यप्रदेश।
4. श्रीमति चित्ररेखा उके स्टॉफ नर्स जिला चिकित्सालय छतरपुर म.प्र.।

5. ~~उम्मीदी, एच.एम.आई.एस. शी प्रो. जे.ए.एस. वर्य~~
~~डी.एस. उके जिला चिकित्सालय छतरपुर~~
~~डा.ए.ए.एस. प्रो. जे.ए.एस.~~

1/5/14
संयुक्त संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क0 9/नर्सिंग/सेल-1/2014 / 335


भोपाल दिनांक 26/4/2014

आदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के पदोन्नति आदेश क्रमांक 9/नर्सिंग/सेल1 /2014/191 दिनांक 3.03.14 के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.01.14 एवं 10.02.2014 की अनुशंसा के आधार पर प्रदेश में कार्यरत स्टॉफ नर्स को नर्सिंग सिस्टर/हाउस कीपर के पद पर निम्नलिखित कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई थी।

सरल क.	वरीयता क0	कर्मचारी का नाम एवं पद	जाति	पदस्थापना स्थान	प्रथम नियुक्ति दिनांक	रिमांक
1	5	श्रीमति काशी अखंडे स्टॉफ नर्स	सामान्य	जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल	8.01.1973 ए.एन.एम.	स्टॉफ नर्स 6.03.1984
2	78	श्रीमति सुभद्रा नायर	सामान्य	जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल	6.12.1977 ए.एन.एम.	स्टॉफ नर्स 1.07.1996
3	103	श्रीमति सुभाष पोहेकर	सामान्य	जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल	25.02.1980 ए.एन.एम.	स्टॉफ नर्स 28.10.1998

उपरोक्त दर्शित तालिका में पदोन्नत किये गये कर्मचारी क्रमांक 1,2,3 का परीक्षण उपरांत प्रथम नियुक्ति दिनांक (ए.एन.एम. के पद पर) के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। उक्त कर्मचारियों के अभिलेखों के परीक्षण उपरांत पदोन्नति की पात्रता नहीं आती है। अतः दर्शित पदोन्नत किये गये कर्मचारियों के आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इनकी वरीयता का निर्धारण प्रथक से किया जावेगा।



डा. बी.के. मिश्रा
संयुक्त संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक / /2014

पृ0क0 9/नर्सिंग/सेल-1/2014

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी./राज्य मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
3. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल म.प्र.।

order

4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल मध्यप्रदेश। की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि श्रीमति निलिमा थामस सरल क. 24 वरीष्ठता क. 35 सामु.स्वा.केंद्र गांधी नगर भोपाल का जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने का डिप्लोमा एवं प्रथम नियुक्ति दिनांक की पुष्टि करते हुये जानकारी तत्काल विशेष पत्र वाहक के हस्ते संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला विदिशा की ओर भेजकर लेख है कि संचालनालय के पत्र क. 9/नर्सिंग/सेल 2/2014/272 दिनांक 3.04.2014 के पालन में आपके अधीन पदस्थ राजम्मा स्टॉफ नर्स एवं रोजी सालोमन स्टॉफ नर्स बासोदा जिला विदिशा का प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण पूर्ण करने का वर्ष की पुष्टि संचालनालय में अप्राप्त है। कृपया तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय जबलपुर की ओर भेजकर लेख है कि आपके अधीन पदस्थ श्रीमति निलिमा चौधरी स्टॉफ नर्स सरल क0 93 वरीप्रता क. 129 का प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की जानकारी की पुष्टि कर तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला भोपाल के पत्र क. स्वा/नर्सिंग/2014/4686 दिनांक 19.03.2014 के संदर्भ में भेजकर लेख है कि संबंधित कर्मचारियों को पदोन्नति की पात्रता नहीं आती है। इन्हे स्टॉफ नर्स के पद पर ही कार्य लिया जायें।

डॉ. बी.के.मिश्रा
संयुक्त संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश